

**अनुदान संख्या 1 - कृषि और सहकारिता विभाग**  
**GRANT No. 1-DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	Charged-			
पूरक	Supplementary	1,00	..	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	5650,91,00	7840,12,00	7765,34,05
पूरक	Supplementary	2189,21,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-74,77,95
				31,81,68
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
प्रभारित-	Charged-	214,80,00	199,01,94	-15,78,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			15,42,67
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	81,50,00	81,52,00	66,82,41
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-14,69,59
				10,44,55

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, अगस्त, 2007 में पूरक के माध्यम से प्राप्त किया गया 1.00 लाख रु. का विनियोग मुख्य शीर्ष "2401" - "फसल कृषि कर्म" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

1. In the charged portion of the revenue section of the grant, appropriation of Rs.1.00 lakh obtained through supplementary in August, 2007 remained wholly unutilised in one case under Major Head "2401" - "Crop Husbandry".

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-	
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)			
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	3772.00	3768.13	3427.04	
पु.	R.	-3.87			-341.09
मुख्य शीर्ष "2401" फसल कृषि कर्म	Major Head "2401" Crop Husbandry				
मू.	O.	364628.00	491989.26	488852.62	
पू.	S.	109318.00			-3136.64
पु.	R.	18043.26			
मुख्य शीर्ष "2402" मृदा तथा जल संरक्षण	Major Head "2402" Soil and Water Conservation				
मू.	O.	1645.00	1155.00	1034.73	
पु.	R.	-490.00			-120.27
मुख्य शीर्ष "2425" सहकारिता	Major Head "2425" Co-operation				
मू.	O.	8031.00	8075.00	8075.00	
पू.	S.	1.00			..
पु.	R.	43.00			
मुख्य शीर्ष "2435" अन्य कृषि कार्यक्रम	Major Head "2435" Other Agricultural Programmes				
मू.	O.	17824.00	22998.09	22804.96	
पू.	S.	1.00			-193.13
पु.	R.	5173.09			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	50900.00		
पू.	S.	3001.00	..	..
पु.	R.	-53901.00		
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	116809.00		
पू.	S.	106500.00	252033.12	251557.25
पु.	R.	28724.12		-475.87
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O.	772.00		
पू.	S.	100.00	173.07	173.07
पु.	R.	-698.93		..
(I) 84907.00 लाख रु. का प्रावधान उनतालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 84276.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-			(I) Provision of Rs.84907.00 lakhs remained wholly unutilised under thirty nine heads; of these Rs.84276.00 lakhs accounted for under the following major heads:-	
(का) मुख्य शीर्ष "2401" -			(A) Major Head "2401" -	
(क) "वाणिज्यिक फसलें" -			(a) "Commercial Crops" -	
(i) "शुष्क भूमि/वर्षा आधारित कृषि प्रणाली जारी रखे जाने को बढ़ावा देना" - 20000.00 लाख रु.; और			(i) "Enhancing sustainability of Dry Land/Rainfed Farming System" - Rs.20000.00 lakhs; and	
(ii) "वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम" - 4000.00 लाख रु.।			(ii) "Rainfed Area Development Programme" - Rs.4000.00 lakhs.	

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) “अन्य व्यय - कृषि संबंधी राज्य योजना को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्कीम” - नवम्बर, 2007 में प्राप्त किया गया 400.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण था क्योंकि स्कीम के गठन का निर्णय बजट के बाद लिया गया था।

(खा) मुख्य शीर्ष “2402” - “अन्य व्यय - कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्य प्रयासों का संपूर्ण/अनुपूरण” - 500.00 लाख रु. कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष “2552” -

(क) “फसल कृषि कर्म - विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण” -

(i) “राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता” - 1700.00 लाख रु.;

(ii) “कृषि विस्तार को जन प्रचार माध्यमों का समर्थन” - 840.00 लाख रु.;

(iii) “कृषि निदानशाला/कृषि व्यवसाय केंद्र” - 200.00 लाख रु.;

(ख) “फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी” -

(i) “कृषि जनगणना” - 200.00 लाख रु.;

(ii) “कृषि सांख्यिकी का सुधार” - 200.00 लाख रु.;

(iii) “कृषि आर्थिक नीति और विकास संबंधी निविष्टि का अध्ययन” - 350.00 लाख रु.;

(ग) “फसल कृषि कर्म - बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण संबंधी बीज अवसरंचना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण” - 600.27 लाख रु.(मार्च, 2008

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-approval of schemes by Expenditure Finance Committee.

(b) “Other Expenditure - Additional Central Assistance Scheme to State Plan for Agriculture” - supplementary provision of Rs.400.00 lakhs obtained in November, 2007 - due to non-finalisation of proposals as the scheme was formulated as a post budget decision.

(B) Major Head “2402” - “Other Expenditure-Supplementation/Complementation of States efforts through work plan (Macro-Management)” - Rs.500.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(C) Major Head “2552” -

(a) “Crop Husbandry – Extension & Farmers Training” -

(i) “Support to State Extension Services” – Rs.1700.00 lakhs;

(ii) “Mass Media Support to Agricultural Extension” – Rs.840.00 lakhs;

(iii) “Establishment of Agri-Clinics/Agri-business Centres” - Rs.200.00 lakhs;

(b) “Crop Husbandry – Agricultural Economics & Statistics” -

(i) “Agricultural Census” – Rs.200.00 lakhs;

(ii) “Improvement of Agricultural Statistics” – Rs.200.00 lakhs;

(iii) “Studies on input for Agricultural Economic Policy and Development” – Rs.350.00 lakhs;

(c) “Crop Husbandry – Seeds – Development and Strengthening of Seed infrastructure facilities for production and distribution

- में प्राप्त किए गए 0.27 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (घ) “फसल कृषि कर्म - खाद और उर्वरक - कार्बनिक खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना” - 600.00 लाख रु.;
- (ङ) “फसल कृषि कर्म - कृषि इंजीनियरी - किसानों के खेतों में बागवानी उपस्कर सहित नवविकसित कृषि उपस्कर के प्रशिक्षण और निदर्शन की बाहरी स्रोतों के माध्यम से व्यवस्था करना” - 115.00 लाख रु.;
- (च) “फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - एकीकृत तिलहन, तेल पाम, दालें और मक्का विकास” - 1000.00 लाख रु.;
- (छ) “फसल कृषि कर्म - बागवानी और वनस्पति फसलें” -
- (i) “राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान” - 500.00 लाख रु.;
- (ii) “केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना” - 200.00 लाख रु.;
- (iii) “पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागवानी के एकीकृत विकास के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन” - 20240.50 लाख रु. (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे;
- (iv) “बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन” - 5500.23 लाख रु. (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.23 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे;
- (ज) “फसल कृषि कर्म - अन्य व्यय” -
- (i) “कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण” - 16000.00 लाख रु.;
- of seeds” – Rs.600.27 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.27 lakh obtained in March, 2008);
- (d) “Crop Husbandry - Manures & Fertilisers – National Project on Promotion of Organic Farming” –Rs.600.00 lakhs;
- (e) “Crop Husbandry – Agricultural Engineering – Outsourcing of training and demonstration of newly developed agricultural equipment including horticulture equipment at farmer’s field” – Rs.115.00 lakhs;
- (f) “Crop Husbandry - Development of Oil Seeds – Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses & Maize Development” - Rs.1000.00 lakhs;
- (g) “Crop Husbandry – Horticulture & Vegetable Crops” -
- (i) “Grants-in-aid to National Horticulture Board” - Rs.500.00 lakhs;
- (ii) “Estt. of Central Institute of Horticulture” - Rs.200.00 lakhs;
- (iii) “Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North Eastern States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal” – Rs.20240.50 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh obtained in March, 2008);
- (iv) “National Mission of Bamboo Technology and Trade Development” –Rs.5500.23 lakhs.(including token supplementary grant of Rs.0.23 lakh obtained in March, 2008);
- (h) “Crop Husbandry – Other Expenditure” –
- (i) “Supplementation/complementation of States efforts through work plan” - Rs.16000.00 lakhs;

- |   |   |
|---|---|
| (ii) "कृषि संबंधी सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन" - 330.00 लाख रु.;  | (ii) "Strengthening/promoting agricultural information system" - Rs.330.00 lakhs;   |
| (iii) "कृषि के लिए राज्य योजना को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्कीमें" - नवम्बर, 2007 में प्राप्त किया गया 3000.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान; | (iii) "Additional Central Assistance Schemes to State Plan for Agriculture" - supplementary provision of Rs.3000.00 lakhs obtained in November, 2007; |
| (इ) "अन्य कृषि कार्यक्रम - अन्य व्यय" -   | (i) "Other Agricultural Programme – Other expenditure" –  |
| (i) "ग्रामीण गोदाम का निर्माण" - 500.00 लाख रु.;  | (i) "Construction of Rural Godown" – Rs.500.00 lakhs;   |
| (ii) "बाजार अवसंरचना का बाजार विकास, श्रेणीकरण और बाजार मानकीकरण" - 500.00 लाख रु.;   | (ii) "Marketing Development of Market Infrastructure, grading and Market standardisation-Rs.500.00 lakhs;   |
| (ज) "सहकारिता - सहकारी शिक्षा - शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनर्गठित स्कीम" - 400.00 लाख रु.; और  | (j) "Cooperation-Co-operative Education – Restructured scheme of education and training" – Rs.400.00 lakhs; and                                       |
| (ट) "सहकारिता - अन्य सहकारिताओं को सहायता - सहकारिताओं के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता" - 400.00 लाख रु.।           | (k) "Cooperation - Assistance to other Cooperatives – Assistance to NCDC for Development of Cooperatives" – Rs.400.00 lakhs.                          |

उपर्युक्त इक्कीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम" - 5500.00 लाख रु. व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ड) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम" - 500.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

Provisions under the above twenty one heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(D) Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes – Crop Husbandry- Commercial Crops–Rainfed Area Development Programme" – Rs.5500.00 lakhs - due to non-approval of the schemes by Expenditure Finance Committee.

(E) Major Head "3602" - "Grants for Central Plan Schemes – Crop Husbandry - Commercial Crops –Rainfed Area Development Programme" – Rs.500.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous year with the Union Territory Governments.

(II) अगस्त, 2007 और नवम्बर, 2007 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2401" - "वाणिज्यिक फसलें - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" - 39875.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 274.08 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" - "संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - राज्य योजना स्कीम को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्कीम" - 100.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण 50.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कृषि और सहकारिता विभाग" के अंतर्गत 337.05 लाख रु. की बचत (3571.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2401" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "वनस्पति संरक्षण - वनस्पति संरक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय" - 922.81 लाख रु. की बचत (5245.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "वाणिज्यिक फसलें - कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन" - 360.52 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(गा) "विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण" -

(क) "डीओई के केंद्रीय संस्थानों को विस्तार सहायता" - 425.51 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु. के

(II) Supplementary grant obtained in August, 2007 and November, 2007 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2401" - "Commercial Crops - National Food Security Mission" - funds of Rs.39875.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.274.08 lakhs - due to non-finalisation of proposals.

(B) Major Head "3602" - "Grants for Union Territory Plan Schemes - Crop Husbandry - Other Grants - Additional Central Assistance Scheme to State Plan Scheme" - funds of Rs.100.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.50.00 lakhs - due to receipt of less proposals.

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Agriculture and Co-operation" - saving of Rs.337.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3571.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of proposals.

(IV) Under Major Head "2401" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Plant Protection - Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage" - saving of Rs.922.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5245.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposals and economy measures.

(B) "Commercial Crops - Technology Mission on Cotton" - saving of Rs.360.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with the implementing agencies.

(C) "Extension and Farmers Training" -

(a) "Extension Support to Central Institutes of DOE" - saving of Rs.425.51 lakhs (against the sanctioned provision of

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

- (ख) “राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता” - “5662.14 लाख रु. की बचत (20600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।
- (घ) “कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी” -
- (क) “अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय” - 171.70 लाख रु. की बचत (928.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (ख) “कृषि जनगणना” - 147.71 लाख रु. की बचत (191.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने की वजह से कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (ग) “अंतरिक्ष कृषि मौसम विज्ञान और भू आधारित प्रेक्षण के उपयोग से कृषि उपज का पूर्वानुमान” - 120.48 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपायों के कारण हुई।
- (ङ) “बागवानी और वनस्पति फसलें” -
- (क) “राष्ट्रीय बागवानी मिशन” - 23082.25 लाख रु. की बचत (115000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (ख) “लघु सिंचाई” - 14060.00 लाख रु. की बचत (55000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (चा) “अन्य व्यय” -
- (क) “कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण” - 927.18 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (b) “Support to State Extension Services” – saving of Rs.5662.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20600.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with the implementing agencies.
- (D) “Agricultural Economics and Statistics” –
- (a) “Directorate of Economics and Statistics” - saving of Rs.171.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.928.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.
- (b) “Agricultural Census” - saving of Rs.147.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.191.00 lakhs) was due to less requirement of funds by implementing agencies owing to slow pace of work.
- (c) “Forecasting Agricultural output Using Space Agro Metrology and Land Based Observation” – saving of Rs.120.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to economy measures.
- (E) “Horticulture and Vegetable Crops” -
- (a) “National Horticulture Mission” – saving of Rs.23082.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.115000.00 lakhs);
- (b) “Micro Irrigation” – saving of Rs.14060.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.55000.00 lakhs);
- (F) “Other Expenditure” –
- (a) “Supplementation/complementation of States efforts through work plan (Macro Management)” - saving of Rs.927.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs);

Rs.1300.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and availability of unspent balance with the implementing agencies.

(ख) “कृषि निदानशाला/कृषि व्यवसाय केंद्रों की स्थापना” - 1500.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) “कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण/संवर्धन” - 1566.36 लाख रु. की बचत (2928.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष “2402” - “मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण - अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण और दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग” के अंतर्गत 110.27 लाख रु. की बचत (1105.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “2425” - “अन्य सहकारिताओं को सहायता - सहकारिताओं के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता” के अंतर्गत 750.00 लाख रु. की बचत (5600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “2435” - “विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “विपणन सुविधाएं - बाजार सर्वेक्षण, अनुसंधान और अन्वेषण” - 112.69 लाख रु. की बचत (732.65 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “श्रेणीकरण और गुणवत्ता सुविधाएं - एगमार्क श्रेणीकरण सुविधाओं का सुदृढीकरण” - 136.05 लाख रु. की बचत (1073.71 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुईं।

(गा) “अन्य व्यय” -

(b) “Establishment of Agricultural Clinic/ Agricultural Business Centres” - saving of Rs.1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs); and

(c) “Strengthening/Promoting Agricultural Information System” – saving of Rs.1566.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2928.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(V) Under Major Head “2402” – “Soil Survey and Testing – All India Soil and Land use Survey and Application of Remote Sensing Technology” - saving of Rs.110.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1105.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(VI) Under Major Head “2425” - “Assistance to Other Co-operatives-Assistance to NCDC for Development of Co-operative” - saving of Rs.750.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5600.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(VII) Under Major Head “2435” - “Marketing and Quality control” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Marketing Facilities - Market Survey, Research and Investigation” - saving of Rs.112.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.732.65 lakhs); and

(B) “Grading and Quality Facilities – Strengthening of Agmark Grading Facilities” – saving of Rs.136.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1073.71 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(C) “Other Expenditure” –

(क) "विपणन अनुसंधान, सर्वेक्षण और विपणन सूचना तंत्र" - 151.73 लाख रु. की बचत (308.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "लघु कृषक कृषि व्यापार संघ" - 1010.00 लाख रु. की बचत (2900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(VIII) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(क) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - जूट प्रौद्योगिकी मिशन - मिनी मिशन-II" - 336.79 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - गहन कपास विकास कार्यक्रम और कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन" - 2988.41 लाख रु. की बचत (8960.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(IX) नौ शीर्षों के अंतर्गत 675.39 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 89 प्रतिशत तक थीं।

3. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (120023.39 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अगस्त, 2007, नवम्बर, 2007 और मार्च, 2008 में 75580.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "मुख्य शीर्ष "2401" -

(a) "Marketing Research, Survey and Marketing Information Network" - saving of Rs.151.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.308.00 lakhs);

(b) "Small Farmers Agri-business Consortium (SFAC)" - saving of Rs.1010.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2900.00 lakhs);

(VIII) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(a) "Grants for Central Plan Schemes - Crop Husbandry - Commercial Crops - Jute Technology Mission-Mini Mission-II" - saving of Rs.336.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs); and

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Crop Husbandry-Commercial Crops - Intensive Cotton Development Programme and Technology Mission on Cotton" - saving of Rs.2988.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8960.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(IX) Under nine heads savings of Rs.675.39 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 89 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly (Rs.120023.39 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.75580.00 lakhs in August 2007, November, 2007 and March, 2008 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2401" -

- (क) “बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण” - 28962.09 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 28954.52 लाख रु. था।
- (ख) “खाद और उर्वरक - कार्बनिक खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना” - 345.40 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 334.75 लाख रु. था।
- (ग) “फसल बीमा - राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम लागू करने के लिए जीआईसी/एआईसी को अदायगी” - 21888.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 21887.70 लाख रु. था।
- (घ) “कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - कृषि संबंधी आर्थिक नीति और विकास के लिए निवेश पर अध्ययन” - 320.05 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 170.80 लाख रु. था।
- (ङ) “तिलहनों का विकास - एकीकृत तिलहन/तेल पाम/ दालों और मक्का का विकास” - 2075.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2045.94 लाख रु. था।
- (च) “बागवानी और वनस्पति फसलें” -
- (i) “राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान” - 1250.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1103.50 लाख रु. था।
- (ii) “नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड को सहायता अनुदान” - 1200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1199.95 लाख रु. था।
- (iii) “पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागवानी के एकीकृत विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन” - 23239.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 23075.37 लाख रु. था।
- (iv) “बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन” - 9939.62 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 9939.57 लाख रु. था।
- (a) “Seeds – Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds” – Rs.28962.09 lakhs. Actual excess, however, was Rs.28954.52 lakhs.
- (b) “Manures and Fertilizers – National Project on Promotion of Organic Farming” - Rs.345.40 lakhs. Actual excess, however, was Rs.334.75 lakhs.
- (c) “Crop Insurance – Payment to GIC/AIC for implementation of National Agricultural Insurance Scheme (NAIS)” – Rs.21888.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.21887.70 lakhs.
- (d) “Agricultural Economics and Statistics-Studies on input for Agricultural Economic Policy and Development” - Rs.320.05 lakhs. Actual excess, however, was Rs.170.80 lakhs.
- (e) “Development of Oil Seeds – Integrated Oilseeds/Oil palm/Pulses and Maize Development” - Rs.2075.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2045.94 lakhs.
- (f) “Horticulture and Vegetable Crops” –
- (i) “Grants-in-aid to National Horticulture Board” - Rs.1250.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1103.50 lakhs.
- (ii) “Grants-in-aid to Coconut Development Board including Technology Mission on Coconut” - Rs.1200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1199.95 lakhs.
- (iii) “Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North East States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal” – Rs.23239.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.23075.37 lakhs.
- (iv) “National Mission on Bamboo Technology and Trade Development” – Rs.9939.62 lakhs. Actual excess, however, was Rs.9939.57 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2425" - "सहकारी शिक्षा - शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनर्गठित स्कीमें" - 793.00 लाख रु.।

(गा) मुख्य शीर्ष "2435" - "विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण - अन्य व्यय" -

(क) "राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को अनुदान" - 171.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 169.27 लाख रु. था।

(ख) "विपणन, बाजार अवसंरचना का विकास, श्रेणीकरण और विपणन मानकीकरण" - 5862.96 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5829.12 लाख रु. था।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - राज्य योजना स्कीमों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 18139.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 18138.90 लाख रु. था।

(ख) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(i) "फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी" -

(1) "कृषि जनगणना" - 450.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 442.00 लाख रु. था।

(2) "कृषि सांख्यिकी का सुधार" - 2595.68 लाख रु.।

(ii) "फसल कृषि कर्म - बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण" - 2792.59 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2792.58 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(B) Major Head "2425" - "Co-operative Education - Restructured Scheme of Education and Training" -Rs.793.00 lakhs.

(C) Major Head "2435" - "Marketing and Quality Control - Other Expenditure" -

(a) "Grants to National Institute of Agricultural Marketing" - Rs.171.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.169.27 lakhs.

(b) "Marketing, Development of Market Infrastructure, Grading and Marketing Standardisation" - Rs.5862.96 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5829.12 lakhs.

(D) Major Head "3601" -

(a) "Grants for State Plan Schemes - Crop Husbandry - Other Grants - Additional Central Assistance to State Plan Schemes" - Rs.18139.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.18138.90 lakhs.

(b) "Grants for Central Plan Schemes" -

(i) "Crop Husbandry - Agricultural Economics and Statistics" -

(1) "Agricultural Census" - Rs.450.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.442.00 lakhs.

(2) "Improvement of Agricultural Statistics" - Rs.2595.68 lakhs.

(ii) "Crop Husbandry - Seeds - Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds" - Rs.2792.59 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2792.58 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

- (का) मुख्य शीर्ष "2401" -
- (क) "विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण - कृषि विस्तार को जनप्रचार माध्यमों का समर्थन" - 413.02 लाख रु. का अधिक व्यय (7560.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ख) "बागवानी और वाणिज्यिक फसलें - केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना" - 135.26 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (खा) मुख्य शीर्ष "2435" - "विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण - अन्य व्यय - ग्रामीण गोदामों का निर्माण" - 496.22 लाख रु. अधिक व्यय (6500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (गा) मुख्य शीर्ष "3601" -
- (क) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - कृषि इंजीनियरी - किसानों के खेतों में बागवानी उपस्कर सहित नव विकसित कृषि उपस्कर के प्रशिक्षण और निदर्शन की बाहरी स्रोत के माध्यम से व्यवस्था करना" - 224.36 लाख रु. का अधिक व्यय (390.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (ख) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -
- (i) "फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्य के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण" - 9687.67 लाख रु. का अधिक व्यय (69920.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (ii) "फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - एकीकृत तिलहन, तेल पाम, दालों और मक्का का विकास" -
- (A) Major Head "2401" -
- (a) "Extension and Farmers Training - Mass Media Support to Agricultural Extension" - excess of Rs.413.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7560.00 lakhs);
- (b) "Horticulture and Vegetable Crops - Establishment of Central Institute of Horticulture" - excess of Rs.135.26 lakhs (against nil provision);
- (B) "Major Head "2435" - "Marketing and Quality Control - Other Expenditure - Construction of Rural Godowns" - excess of Rs.496.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6500.00 lakhs);
- (C) Major Head "3601" -
- (a) "Grants for Central Plan Schemes - Crop Husbandry - Agricultural Engineering - Outsourcing of training and demonstration of Newly Developed Agricultural Equipment including Horticulture Equipment at Farmers field" - excess of Rs.224.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.390.00 lakhs); and
- (b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -
- (i) "Crop Husbandry - Other Grants - Supplementation/complementation of States Efforts Through Work Plan (Macro Management)" - excess of Rs.9687.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.69920.00 lakhs).
- Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
- (ii) "Crop Husbandry - Development of Oil Seeds - Integrated Oilseeds, Oil palm,

3300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (21000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक तेजी लाए जाने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Pulses and Maize Development” – excess of Rs.3300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.21000.00 lakhs) was due to additional requirement for giving greater thrust under the programme.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “6552”	Major Head “6552”			
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Loans for North Eastern Areas			
मू.	O.	4000.00	..	..
पु.	R.	-4000.00	..	..
मुख्य शीर्ष “7601”	Major Head “7601”			
राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम	Loans and Advances to State Governments			
मू.	O.	17480.00	19937.33	19901.94
पु.	R.	2457.33		-35.39

(I) 4000.00 लाख रु. का विनियोग मुख्य शीर्ष “6552” - “फसल कृषि कर्म - अन्य कर्ज - कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण” के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि व्यपगत न होने वाले पूल को अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Appropriation of Rs.4000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head “6552” – “Crop Husbandry - Other Loans - Supplementation/complementation of States efforts through work plan (macro management)” – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount to non-lapsable pool.

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “7601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए कर्ज - फसल कृषि कर्म

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head “7601” – “Loans for

- अन्य कर्ज - कार्य योजना (वृहद प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूर्ण/अनुपूरण के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 2421.94 लाख रु. का अधिक व्यय (17480.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "6552" से कार्यात्मक शीर्षों से किए जाने के कारण हुआ।

Centrally Sponsored Plan Schemes - Crop Husbandry - Other Loans- Supplementation/Complementation of States efforts through Work Plan (Macro Management)" - excess of Rs.2421.94 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.17480.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "6552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

6. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

6. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष "4401" फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4401" Capital Outlay on Crop Husbandry			
मू.	O.	1225.00		
पु.	R.	-292.55	932.45	687.38 -245.07
मुख्य शीर्ष "4435" अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4435" Capital Outlay on Other Agricultural Programmes			
मू.	O.	285.00	..	.. ..
पु.	R.	-285.00		
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	200.00	..	.. ..
पु.	R.	-200.00		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "6401"	Major Head "6401"			
फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज	Loans for Crop Husbandry			
मू.	O.	1200.00	..	..
पु.	R.	-1200.00	..	..
मुख्य शीर्ष "6402"	Major Head "6402"			
मृदा तथा जल संरक्षण के लिए कर्ज	Loans for Soil and Water Conservation			
मू.	O.	500.00	..	..
पु.	R.	-500.00	..	..
मुख्य शीर्ष "6425"	Major Head "6425"			
सहकारिता के लिए कर्ज	Loans for Co-operation			
मू.	O.	4400.00		
पू.	S.	1.00	5800.00	5800.00
पु.	R.	1399.00		..

(I) 2295.00 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 2185.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "4435" - "विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण - अन्य व्यय - बाजार अवसंरचना का विपणन विकास, श्रेणीकरण और बाजार मानकीकरण" - 285.00 लाख रु. प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" - "फसल कृषि कर्म - बागवानी और वनस्पति फसलें - केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना" - 200.00 लाख रु संस्थाओं के काम न करने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.2295.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.2185.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4435" - "Marketing and Quality Control - Other Expenditure -Marketing Development of Market infrastructure, grading and market standardization" - Rs.285.00 lakhs - due to non-finalisation of proposals.

(B) Major Head "4552" - "Crop Husbandry - Horticulture and Vegetable Crops - Establishment of Central Institute of Horticulture" - Rs.200.00 lakhs - due to non-functioning of Institutions.

(गा) मुख्य शीर्ष "6401" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश/को कर्ज - भारतीय स्टेट फार्म निगम" - 1200.00 लाख रु. कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष "6402" - "अन्य कर्ज - दामोदर घाटी निगम को कर्ज" - 500.00 लाख रु. प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4401" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण" - 181.49 लाख रु. की बचत (225.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "वनस्पति संरक्षण - वनस्पति संगरोध सुविधाओं का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण" - 130.84 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 150.97 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत और 61 प्रतिशत थीं।

7. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1399.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "6425" - "ऋण सहकारिताओं को कर्ज - भूमि विकास बैंक को कर्ज" के अंतर्गत मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(C) Major Head "6401" - "Investment in/ Loans to Public Sector and Other Undertakings - State Farm Corporation of India" - Rs.1200.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies.

(D) Major Head "6402" - "Other Loans - Loan to Damodar Valley Corporation" - Rs.500.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(II) Under Major Head "4401" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Seeds - Development and Strengthening of Seeds Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds" - saving of Rs.181.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.225.00 lakhs); and

(B) "Plant Protection - Strengthening and modernisation of plant quarantine facilities" - saving of Rs.130.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals.

(III) Under two heads savings of Rs.150.97 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 30 percent and 61 percent of the sanctioned provision.

7. The above savings were partly (Rs.1399.00 lakhs) utilised for augmenting the provisions by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2008 under Major Head "6425" - "Loans to Credit Co-operatives - Loans for Land Development Bank".